न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

नि0न0 — 15/2024

अनवान : —

1. नेकीराम पुत्र बदी जाति कुम्हार निवासी छानीबडी त0 भादरा।
2. विजयपाल पुत्र रामलाल जाति कुम्हार निवासी छानीबडी त0 भादरा।
3. सतपाल पुत्र रामलाल जाति कुम्हार निवासी छानीबडी त0 भादरा।
4. होशियारसिंह पुत्र रामलाल जाति कुम्हार निवासी छानीबडी त0 भादरा।

—प्रार्थी

बनाम्

1. सुशीला पत्नी कमलेश कुमार जाति खाती निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।
2. तहसीलदार राजस्व भादरा।
3. रामलाल पुत्र बद्री जाति कुम्हार निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251</u>

<u>ए आरटीएक्ट सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 ए</u>

उपस्थिति :—श्री संदीप गोदारा प्रार्थी

श्री प्रभूराम गोदारा अप्रार्थीगण

<u>निर्णय</u> दिनांकः

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 231/220 की कुल 0.568है0 प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 3 रामलाल की संयुक्त मुश्तर्का खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

अप्रार्थीगण के चिपते ही इसी चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 133/139 के मु0न0 29 के किला न0 23/1 की 0.063है0 मु0न0 32 के किला न0 3/1 की 0.190है0 कुल 0.253है0 बारानी खातेदारी अप्रार्थीया सुशीला के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए अप्रार्थीया की कृषि भूमि के किला न0 23/1 व किला न0 3 के पश्चिम की तरफ मुख्य सडक से दक्षिण से उतर से होकर अपनी खातेदारी में प्रवेश करते है। उपरोक्त रास्ता सदामत से चालू रास्ता है। उक्त रास्ता को प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसलिए उपरोक्त किलाजात में प्रार्थीगण रास्ता स्वीकृत करवाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर [illegible] कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल [illegible] प्रार्थीग[illegible] अप्रार्थी सं0 1 —3 ने प्रार्थना पत्र की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए [illegible] किया। अप्रार्थी [illegible] 2 ने जवाब पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.05 14:43:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित अपनी खातेदारी में प्रवेश के लिए रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 133/139 के मु0न0 29 के किला न0 23/1 एवं मु0न0 32 के किला न0 3/1 में सदामत से चालू रास्ता का उपयोग कर रहे है। अतः मुताबिक राजीनामा मु0न0 29 के किला न0 23/1 में 0.003है0 गै0मु0 रास्ता व मु0न0 32 के किला न0 3/1 में 0.010है0गै0मु0रास्ता दोनों किलों के पश्चिमी तरफ मुख्य सड़क से दक्षिण से उत्तर सवा आठ फिट चाड़ाई में स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रस्तावित रास्ता पर वकील अप्रार्थीगण ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों व राजीनामा एवं जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है तथा रास्ता की भूमि की एवज में उभयपक्ष ने किसी भी प्रकार का लेन देन बाकि नहीं होना स्वीकार किया है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 133/139 के मु0न0 29 के किला न0 23/1 में 0.003है0 गै0मु0 रास्ता व मु0न0 32 के किला न0 3/1 में 0.010है0 गै0मु0रास्ता दोनों किलों के पश्चिमी तरफ मुख्य सड़क से दक्षिण से उत्तर सवा आठ फिट चाड़ाई में स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार रास्ता का अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त करें।

आज दिनांक 29-07-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29-07-24

(ओ.पी. चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.05 14:43:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner